झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–10.08.2023 से दिनांक–12.08.2023 तक चतरा एवं कोडरमा जिले से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. दिनांक–10.08.2023 को आयोग द्वारा चतरा जिले में औचक स्थलीय निरीक्षण।

- दिनांक–10.08.2023 को राजकीयकृत मध्य विद्यालय, आरा, जिला–चतरा का आयोग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट पर मेन्यू अंकित नहीं है। जिला शिक्षा अधीक्षक एवं विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मोबाइल पर मेन्यू दिखाया गया। मध्याह्न भोजन कूकिंग गैस के स्थान पर लकड़ी पर बनाया गया था। रसोईघर की जाँच करने के क्रम में पाया गया कि गैस सिलेंडर खाली है, इस पर आयोग द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा को विद्यालय के प्राचार्य से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा समय–समय पर भ्रमण कर जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें अण्डा के स्थान पर फल दिया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा बच्चों को दिये जाने वाले भोजन को खा कर गुणवत्ता को परखा गया एवं सही पाया गया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा)**

- आयोग द्वारा राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ऊँटा, जिला–चतरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। बच्चों को दिये जाने वाला मध्याह्न भोजन कूकिंग गैस पर बनाया जा रहा था। उपरोक्त दोनों विद्यालयों का मेन्यू अलग–अलग पाया गया। इस पर आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा को विद्यालय के

प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा)**

- चतरा जिले के मारवाड़ी मोहल्ला में अवस्थित राशन डीलर, श्री भोला प्रसाद, अनु0 सं0–16/97 के राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन दुकान के बाहर लगे सूचना पट्ट में आवंटन एवं स्टॉक से सम्बन्धित सूचना अंकित नहीं रहने एवं कार्डधारियों को पिछले 09 माह से चीनी नहीं मिलने की बात सामने आई। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)**

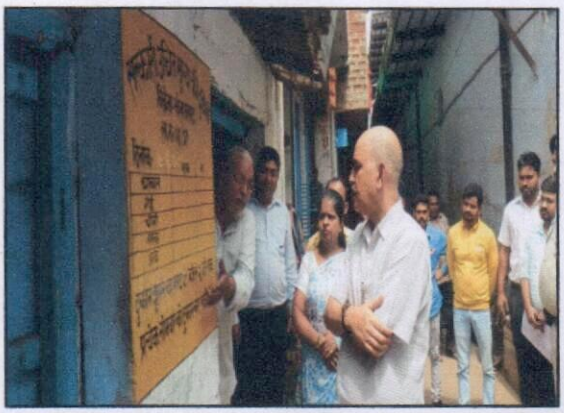

- आयोग द्वारा चतरा जिले के धमनियाँ बिरहोर कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बिरहोर परिवार के कार्डधारियों, जिनका राशन कार्ड सं0–202000285769, 202000285768, 202000285761, 202000285760 एवं 202000285759 हैं, उन्हें माह जून, 2023 का राशन नहीं मिलने का मामला संज्ञान में आया। गिद्धौर प्रखण्ड के जपुआ बिरहोर कॉलोनी में PDS योजना के निरीक्षण में भी यहाँ के बिरहोर परिवारों द्वारा राशन वितरण ससमय नहीं होने एवं पूर्व में कुछ माह का राशन गबन करने से सम्बन्धित शिकायतें आयोग के संज्ञान में आई। आयोग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को सख्त कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग से भी पत्राचार किये जाने का निर्णय लिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को यह भी निर्देश दिया गया कि जिस बिरहोर परिवार में सदस्यों की संख्या 07 से अधिक हो, तो ऐसे परिवारों से सहमति प्राप्त कर अंत्योदय कार्ड को PH कार्ड में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)**

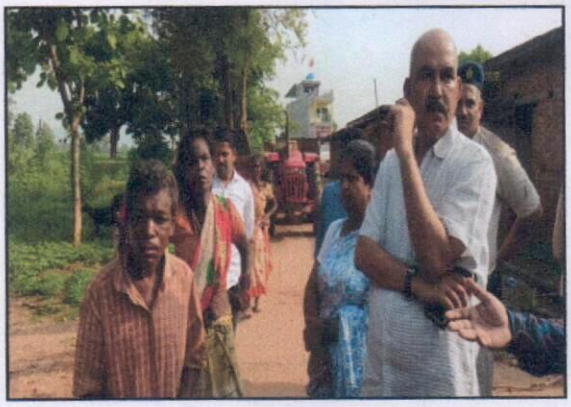

2. चतरा जिला में दिनांक–11.08.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक सुनवाई एवं जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–11.08.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक चतरा जिला के परिसदन भवन में सुनवाई एवं जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त चतरा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई के दौरान आयोग में दर्ज शिकायतें जो जिला स्तर पर लंबित है, इनकी प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया। **(अनुपालन–जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी, चतरा)**

- बिरहोर कॉलोनी के निरीक्षण के दौरान लाभुकों को माह जून का अनाज अप्राप्त रहने के मामले का जिक्र करते हुए अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को बिरहोर कॉलोनी में नियमित निरीक्षण करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की योजनाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। यदि किसी की मौत भूख से होती है तो इसकी जिम्मेवारी जिले के अधिकारियों की होगी। आयोग द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं इनमें खाद्यान्न तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। **(अनुपालन–जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी, चतरा)**

- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग स्तर से विभाग से पत्राचार कर इस आशय की जानकारी मांगी जाए कि मध्याह्न भोजन के मेन्यू में क्या–क्या है ? इसके अलावे यूनिफाईड मेन्यू प्रत्येक विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाए, जहाँ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो।

- जनसुनवाई में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि जिले में कुल–1124 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जहाँ लाभुकों को पूरक पोषाहार नियमित तौर पर दिया जा रहा है। किन्हीं–किन्हीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में सूचना पट्ट अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा को निर्देश दिया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्र में योजना से सम्बन्धित डिस्प्ले बोर्ड/सूचना पट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा)**

- जनसुनवाई में उपस्थित सिविल सर्जन, चतरा द्वारा बताया गया कि जिले में कुल–04 कुपोषण उपचार केन्द्र हैं, जो टंडवा, सिमरिया, चतरा सदर एवं हंटरगंज में स्थित है। आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि लाभुकों के बीच प्रचार–प्रसार करें एवं कुपोषित बच्चों को केन्द्र में भर्ती कराएँ। **(अनुपालन–सिविल सर्जन, चतरा)**

- जनसुनवाई कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा आयोग के समक्ष यह बात संज्ञान में लाई गई कि अपवाद पंजी के माध्यम से वितरित किया जाने वाले अनाज का इंट्री ऑनलाईन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार किया जाएगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, उन क्षेत्रों में अपवाद पंजी अथवा अन्य माध्यम से राशन उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा एवं विभाग से पत्राचार किया जाएगा। इस तरह की स्थिति से यदि किसी की मौत भूख से हो जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी ? इस सम्बन्ध में वार्ता हेतु विभागीय मंत्री से भेंट की जाएगी।

- आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित मामलों में यदि विभाग से पत्राचार किया जाता है, तो उसकी प्रति आयोग को भी दें, ताकि आयोग स्तर पर भी कार्रवाई किया जा सके।

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्रीमती गीता देवी, पति–उदय बैठा, ग्राम+पो0–बचरा, प्रखण्ड–टंडवा, जिला–चतरा द्वारा आयोग को शिकायत–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें राशन कार्ड सं0–202005739614 में उनके द्वारा स्वयं एवं उनके 03 बच्चों का नाम 03 वर्ष पहले काट दिये जाने का उल्लेख है। यह भी कि शिकायतकर्ता गंभीर बिमारी से भी पीड़ित है। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को निर्देश दिया गया कि किस परिस्थिति में लाभुकों का नाम काटा गया, इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि गलत कारणों से राशन कार्ड में नाम काटा गया है, तो जितने माह तक लाभुकों को अनाज से वंचित रखा गया, उतने माह का

मुआवजा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)**

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्रीमती सुप्रिया देवी, पति–श्री सुरेन्द्र राम, ग्राम+पो0–बचरा दक्षिणी, प्रखण्ड–टंडवा, जिला–चतरा द्वारा आयोग को शिकायत–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें राशन कार्ड सं0–202005744905 में उनके द्वारा स्वयं एवं उनके 02 बच्चों का नाम 02 वर्ष पहले काट दिये जाने का उल्लेख किया गया है एवं पुनः नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया है। मामले में आयोग द्वारा शिकायत–पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया गया कि तत्काल उन्हें राशन दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही राशन कार्ड में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाए। उपरोक्त दोनों शिकायतकर्ता राशन डीलर, बचरा सीता महिला मंडल, अनु0 सं0–23–10, ग्राम–बचरा, प्रखण्ड–टंडवा, जिला–चतरा से सम्बद्ध हैं एवं डीलर के विरूद्ध शिकायत भी है। अतः राशन डीलर के विरूद्ध किये गये शिकायत की भी जाँच कर कार्रवाई करने का निर्देश आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)**

- जनसुनवाई में उपस्थित श्री साबिर, जिला–चतरा द्वारा बताया गया कि राशन दुकान नियमित रूप से एवं समय पर नहीं खुलता हैं। दुकान के बाहर शिकायत दर्ज करने का नंबर भी अंकित नहीं है। आयोग द्वारा उन्हें आयोग का बुकलेट उपलब्ध कराया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा समस्या होने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराएँ। 30 दिनों के अन्दर समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर शिकायत दर्ज करें। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी राशन दुकान के बाहर आयोग का वाट्सएप्प नं0 अंकित कराना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)**

- जनसुनवाई में उपस्थित एक शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि सिमरिया प्रखण्ड में कई ऐसे गाँव है, जहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है। इस पर आयोग द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चतरा को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि जरूरत पड़ने पर आयोग को भी पत्र लिखा जाए। **(अनुपालन–अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चतरा)**

3. चतरा जिला में दिनांक–11.08.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–11.08.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक चतरा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन DRDA सभागार में किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 153 में से 68 पंचायतों के मुखियागण उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त चतरा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

4. चतरा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान

- जिले में राशन का वजन करते समय राशन डीलर द्वारा पत्थर एवं बटखारा का इस्तेमाल किये जाने, लाभुकों को कम राशन मिलने, डीलर द्वारा धमकी दिये जाने एवं प्रत्येक राशन दुकान में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने सम्बन्धी मामलों में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी की जा रहा है अथवा समस्या हो, तो आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें। सी0सी0टी0वी0 से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विभाग से पत्राचार किये जाने का आवश्वासन दिया गया।
- श्रीमती रीना देवी, मुखिया, बचरा दक्षिणी, प्रखण्ड–टंडवा द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में एक ही राशन डीलर है। लगभग 200–250 लाभुकों को दूसरे पंचायत के डीलर के पास राशन लेने जाना होता है, जिससे लाभुकों को समस्या होता है। सम्बन्धित पंचायत के लाभुकों को सम्बन्धित

पंचायत के डीलर से ही राशन मिले, इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जो लाभुक डीलर परिवर्तित करना चाहते हैं, वे ऑनलाईन आवेदन दें।

- जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने के मामले में आयोग द्वारा कहा गया कि वैसे व्यक्ति जिनके समक्ष भोजन का संकट हो अथवा भूख से मौत की संभावना हो, तो उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अयोग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड से नाम हटाने के लिये प्रावधान बनाने एवं जिस पंचायत का राशन कार्ड रद्द हो, तो उसी पंचायत के व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाये जाने के मामले में आयोग द्वारा बताया गया कि पूर्व में इस सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार किया गया है।
- राशन डीलर को गोदाम से कितना आवंटन मिला एवं कब मिला, इसकी जानकारी मुखिया को भी दिये जाने सम्बन्धी मामले में आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को वाट्सएप्प ग्रुप बनाने एवं सम्बन्धित जानकारी मुखिया को देने हेतु निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)**
- मुखियागण द्वारा बताया गया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ लाभुकों को राशन लेने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में नया डीलर बनाया जाए, ताकि लाभुकों को राशन लेने में सुविधा हो। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि विभाग द्वारा निर्धारित दूरी 2 कि0मी0 से अधिक होने की शिकायत मिलने पर आयोग स्तर से विभाग से पत्राचार किया जाएगा।
- सिमरिया प्रखण्ड में बहुत सारी बेटियों का नाम हटा कर बहू का नाम जोड़ने सम्बन्धी मामले में आयोग द्वारा कहा गया कि नाम हटाने की प्रक्रिया तुरन्त हो सकती है, किन्तु नाम जोड़ने में समय लगता है। क्योंकि कई ऐसे लाभुक हैं, जिनका राशन कार्ड में नाम जोड़ने से सम्बन्धित आवेदन काफी समय से लंबित है। अतः नाम जोड़ने की प्रक्रिया क्रमानुसार होता है।
- श्रीमती सोनी देवी, ग्राम–कोलबा प्रखण्ड–हन्टरगंज द्वारा बताया गया कि ग्राम–कोलबा में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा पोषाहार एवं THR नहीं दिया जाता है। पूछने पर सेविका द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चतरा को 07 दिनों के अन्दर मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, चतरा)**

5. कोडरमा जिला में दिनांक–12.08.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–12.08.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक कोडरमा जिला के परिसदन भवन में सुनवाई एवं जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त चतरा जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रतिनिधि सिविल सर्जन, पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कोडरमा जिले से आयोग में दर्ज शिकायतें, जो जिला स्तर पर लंबित है, इनकी प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया। अध्यक्ष द्वारा आयोग कार्यालय को निर्देश दिया गया कि जितने शिकायतकर्ताओं के शिकायत का निदान हो गया है, उन्हें निष्पादन की सूचना दे दी जाए।**(अनुपालन–जिले के सभी सम्बन्धित पदाधिकारी, कोडरमा)**
- जनसुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गंभीर बिमारी से पीड़ित लाभुकों का राशन कार्ड बनाने अथवा नाम जोड़ने के लिये विभाग से आग्रह किया गया है कि ऐसे लाभुकों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई हेतु पोर्टल में प्रावधान किया जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा को अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि वे सभी राशन दुकानों के बाहर सूचना पट्ट लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें अनाज का आवंटन, स्टॉक, कार्ड के अनुसार लाभुकों को मिलने वाले अनाज की मात्रा का उल्लेख हो। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा)**
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा बताया गया कि जिले में कुल–751 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 749 केन्द्र संचालित है। 02 केन्द्रों की स्वीकृति नहीं मिली है, स्वीकृति मिलते ही उन्हें भी सक्रिय कर दिया जाएगा। इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी सूचना पट्ट में अंकित कराना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा)**
- सिविल सर्जन, कोडरमा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिले में कुल–03 कुपोषण उपचार केन्द्र संचालित है, जो 10–10 बेड के हैं। केन्द्र में भर्ती बच्चे के साथ रहने वाली उनकी माता अथवा

पिता को भोजन के लिये 130.00 रू0 प्रति दिन के दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा बताया गया कि कुपोषित बच्चों के माता–पिता को प्रेरित कर उन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाता है। वैसे कुपोषित बच्चे जो केन्द्र में भर्ती नहीं हो पाते हैं, उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र से ही पोषाहार दिया जाता है। आयोग द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा सुझाव दिया गया कि समुदाय based कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा सकता है। सिविल सर्जन, कोडरमा के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि Community based co-ordinator नियुक्त किया जाए, जो कुपोषित बच्चों कुपोषण उपचार केन्द्रों में भर्ती कर उपचार कराने हेतु उनके परिवार को प्रेरित कर सकें। इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि किसी प्रकार की सुझाव विभाग को भेजें, तो उसकी प्रति आयोग को भी भेजें, ताकि आयोग अपने स्तर से भी इन पर कार्रवाई कर सके।

- जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा द्वारा बताया गया कि सभी विद्यालयों में बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा दिया जाता है। अल्पाहार वर्तमान में बन्द है। मेन्यू के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन एवं कूकिंग गैस में भोजन बनाया जाता है। अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा को जिले के सभी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने एवं मध्याह्न भोजन चख कर उसकी गुणवत्ता की जाँच करने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा)**

6. कोडरमा जिला में दिनांक–12.08.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–12.08.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक कोडरमा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन पंचायत रिसोर्स सेंटर, दुधीमाटी में किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 105 में से 35 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त लातेहार जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रतिनिधि सिविल सर्जन, पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

7. कोडरमा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- मुखियागण द्वारा बताया गया कि कई ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, जो एक कमरे के मकान में निवास करते हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। आवेदन देने के बाद भी लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है। जबकि कई ऐसे अमीर परिवार हैं, जिन्होंने गलत तरीके से कार्ड बना कर राशन का उठाव कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कहा गया कि नया राशन कार्ड तब तक नहीं बन सकता है, जब तक वेकेंसी नहीं हो। जो समृद्ध हैं एवं उनके पास राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी शिकायत जिले के अधिकारियों के समक्ष करें, समाधान नहीं होने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें। इसकी जिम्मेवारी मुखियागण की है।
- पहले राशन डीलर को आवंटन एवं अनाज मिलने के समय डीलर द्वारा मुखिया से हस्ताक्षर कराया जाता था, जो वर्तमान में बन्द है। गोदाम से अनाज का उठाव करने के समय डीलर से पैसा लिया जाता है। प्रचार–प्रसार भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया।
- काफी सारे ऐसे लोग जो पूर्व में राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं, पुनः उनका राशन कार्ड बना दिये जाने के मामले में आयोग द्वारा कहा गया कि ऐसे मामलों की विवरणी आयोग को उपलब्ध कराया जाय ताकि विभाग से इस संबंध में पृच्छा किया जा सके। साथ ही उपायुक्त, कोडरमा से भी पत्राचार किया जाएगा कि समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाया जाए एवं उसकी जानकारी मुखिया को भी दी जाए।
- मुखियागण द्वारा कहा गया कि कई ऐसे गरीब जो गंभीर बिमारी से पीड़ित हैं, उन्हें राशन कार्ड बनाने एवं नाम जोड़ने में काफी समस्या होती है। पोर्टल में केवल 20 लोगों के लिये स्लॉट खुलता है। गोदाम से खराब चावल डीलर को दिया जाता है एवं डीलर द्वारा लाभुकों के बीच वितरित किया जाता है। हरा राशन कार्ड में आवंटन नहीं आ रहा है। प्रत्येक पंचायत में कैंप लगा कर

लाभुकों की समस्याओं को दूर किया जाए। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कहा गया कि 20 लोगों के लिये स्लॉट पूरे राज्य में लागू है, जो सरकार का निर्णय है।

- मुखियागण द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी समिति गठित नहीं रहने की बात कही गई। इस पर आयोग द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में विभाग एवं उपायुक्त, कोडरमा से पत्राचार किया जाएगा।
- मुखियागण द्वारा आयोग के माध्यम से पूरे जिला स्तर पर वाट्सएप्प ग्रुप बनाने का अनुरोध किया गया, जिसमें समस्याओं को रखा जा सके। कहा गया कि डीलर द्वारा राशन कम दिया जाता है, धोखे से अंगूठे का निशान लेकर गरीबों के राशन का गबन कर लिया जाता है। एक माह का राशन दिया जाता है, एक माह का नहीं। बीच–बीच में BLO/BSO को ग्राम सभा में भेजा जाता था, जिससे सुविधा होती थी, वर्तमान में नहीं भेजा जाता है। ग्राम सभा हेतु जिला के माध्यम से मुखिया एवं डीलर को पत्र भेजा जाए। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा लिखित में आवेदन देने का निर्देश दिया गया।
- राशन डीलर को अनाज कम मिलने एवं पूरे अनाज का रिसिविंग लिये जाने के मामले में आयोग द्वारा कहा गया कि डीलर को गोदाम से जितना राशन आवंटित होता है, उतने ही राशन का रिसिविंग दें। राशन कम मिलने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें।
- कोडरमा प्रखण्ड के पत्थलडीहा पंचायत के मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में 05 राशन दुकान है, जो एक ही गाँव में है एवं पंचायत 04 गाँव का है। बेहराडीह एवं सलैया गाँव के लाभुकों को राशन लेने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बेहराडीह एवं सलैया गाँव में या तो नया डीलर बनाया जाए या सम्बन्धित डीलर को ही सप्ताह या महिने में बेहराडीह एवं सलैया गाँव में जा कर राशन का वितरण करने सम्बन्धी निर्देश दिया जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा को इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा)**
- कोडरमा प्रखण्ड के इन्दरवा पंचायत की मुखिया, श्रीमती उमा देवी द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को रोजाना मात्र खिचड़ी मिलता है। आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को अण्डा भी मिलना चाहिए। इन्दरवा पंचायत में काफी सारे बच्चे कुपोषित हैं। बिरहोर एवं अन्य लाभुकों को अनाज कम मिलने की भी शिकायतें हैं। शिकायत किस अधिकारी के समक्ष करना है, पता नहीं चल पाता है। इस पर आयोग द्वारा प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा कहा गया कि उपायुक्त, कोडरमा से इस सम्बन्ध में पत्राचार किया जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जिले के सभी

मुखियागण को अपना मोबाईल नं0 उपलब्ध कराएँ एवं शिकायतें कहाँ करनी है, इसकी जानकारी भी दी जाए। मुखियागण से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें।

- वृद्ध लाभुकों का ई–पॉस मशीन में अंगूठा नहीं लग पाने के मामले में आयोग द्वारा बताया गया कि ऐसे लाभुकों को अपवाद पंजी के माध्यम से राशन देने का प्रावधान है।
- मरकच्चो प्रखण्ड के तेलोडीह पंचायत के मुखिया, श्री टीपन पासी द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
- चन्दवारा प्रखण्ड के भोण्डो पंचायत की मुखिया, श्रीमती कोयल देवी द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका द्वारा आई0डी0 बनाने एवं छात्र–छात्राओं के छात्रवृति के नाम पर पैसा लिया जाता है। पूछने पर सेविका द्वारा कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है। मुखिया द्वारा आयोग से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
- मुखियागण द्वारा बताया गया कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी उन्हें नहीं होने एवं गोदाम से खराब चावल लाभुकों के बीच वितरित करने हेतु भेजे जाने की बात कही गई। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कोडरमा)**
- मरकच्चो प्रखण्ड के सिमरिया पंचायत के मुखिया द्वारा बताया गया कि उप विकास आयुक्त के निर्देश के आलोक में समस्याओं के निदान हेतु समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु डीलर को पत्र लिखा गया, किन्तु कुछ ही डीलर आते हैं, एवं कुछ डीलर नहीं आते हैं। इस सम्बन्ध में मुखिया को पुनः उप विकास आयुक्त को पत्र लिखने एवं उसकी प्रति आयोग को भी भेजने हेतु निर्देश दिया गया।
- मुखियागण द्वारा बताया गया कि कई ऐसे व्यक्ति जिनके पास हरा राशन कार्ड है, उन्हें नियमित तौर पर अनाज नहीं मिल पा रहा है एवं उनके सामने भोजन का भी संकट है। आयोग द्वारा बताया गया कि हरा राशन कार्ड में वर्तमान में नियमित तौर पर अनाज नहीं आ पा रहा है। ऐसे लोग जिनके समक्ष भोजन का संकट हो, तो आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- जयनगर प्रखण्ड के रूपायडीह पंचायत के मुखिया द्वारा बताया गया कि ग्राम सभा के माध्यम से राशन कार्ड बनाने हेतु प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई

कार्रवाई नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा ग्राम सभा को प्राथमिकता देने हेतु उपायुक्त, कोडरमा से पत्राचार किये जाने की बात कही गई।

8. आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा दोनों जिलों (चतरा एवं कोडरमा) के मुखिया से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था पंचायत के मुखिया पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार नींव मजबूत होगा, तो इमारत भी मजबूत होगी। उनके द्वारा कहा गया कि मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी, योजनाएँ धरातल पर उतर सकेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ समाज के गरीब एवं निचले स्तर के लोगों के लिये है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएँ संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुकों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। अध्यक्ष द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि पंचायत स्तरीय निगरानी समिति में सम्बन्धित पंचायत के मुखिया उस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पंचायत में संचालित योजनाओं की निगरानी करना मुखिया की ही जिम्मेवारी है। आम जनता को जागरूक एवं सशक्त बनाना तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। इसलिये आयोग ने अपना टैग लाईन बनाया है– ***"अधिकार जानें, अधिकार मांगे"***। जिले के असहाय, एकल व्यक्ति, विधवा महिला, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुँच सके, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन जिलों के अधिकारी संवेदनशील नहीं हो तो ऐसे में आप मुखियागण की जिम्मेवारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायतों को आयोग के समक्ष लाएँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने अथवा किसी प्रकार की शिकायत होने पर आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया।

- आयोग के अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी वाले होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायत भवनों में लगाना सुनिश्चित करवायें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागणों से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें खाद्यान्न तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरण केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि, पात्रता के अनुसार राशन का वितरण एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के प्रावधान के अनुसार मेन्यू के आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी हरा राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिक्ति नहीं रहने के कारण राशन कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा सकता है। पंचायत के मुखिया को भी इस बात का संज्ञान होगा कि कई सम्पन्न परिवारों के पास राशन कार्ड है, जबकि गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस हेतु सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अयोग्य हैं एवं यदि उनके पास राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, योग्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। राशन डीलर भी हमारे समाज के अंग हैं। कई बार डीलर द्वारा कहा जाता है उन्हें गोदाम से ही अनाज कम मिलता है, तो ऐसे में डीलर जिले के पदाधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करें, समाधान नहीं होने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें। मुखिया समाज की अहम कड़ी हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिये मुखियागण जागरूक होंगे, तो समाज भी जागरूक होगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे लाभुकों को उनका अधिकार दिलाने में सहायता करें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि किसी की मौत भूख से होती है तो इसकी जवाबदेही सम्बन्धित अधिकारियों सहित मुखिया की भी होगी। किसी की

मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर मुखिया निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते मुखियागण नियमित रूप से समिति की बैठक करायें एवं बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की प्रति आयोग को भी दें। अधिकारियों के सहयोग से मुखियागण योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सहयोग करें एवं अपने पंचायत में भ्रष्टचार को पनपने न दें। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लिखित रूप में प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायतकर्ता झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नंबर – 9142622194 या ईमेल – jharfoodcommission@gmail.com पर पूर्व में किये गये शिकायत की प्रति एवं अन्य प्रमाण के साथ अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि आपसी रंजिश/आपसी झगड़ा में किसी की शिकायत न करें, शिकायत प्रमाणिक होगी, तभी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार है। किसी की मौत भूख से न हो एवं किसी के समक्ष भोजन का संकट न हो, इसलिये सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत् प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"** योजना के तहत् ऑनलाईन दुकान से सम्बद्ध कोई भी लाभुक देश भर में किसी भी राज्य के किसी जिले के किसी प्रखण्ड अथवा पंचायत एवं किसी भी ऑनलाईन जनवितरण प्रणाली केन्द्र से राशन का उठाव कर सकता है। लाभुक द्वारा राशन के लिये अंगूठा लगाया जाता है, तो ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में अंकित मात्रा के अनुरूप उन्हें राशन दिलाना मुखियागण सुनिश्चित करें। जिन लाभुकों का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, उनके लिए डीलर को अपवाद पंजी में संधारित करने का विभागीय

निदेश है। अपवाद पंजी की मुखिया अपने स्तर से जाँच करें कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर सके। मुखियागण लाभुकों को बतायें कि किसी भी हाल में एडवांस में अंगूठे का निशान नहीं लगायें, इससे राशन वितरण में गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती है। PVTG के तहत् लाभुक को प्रत्येक माह सील बंद पैकेट में 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई राशि लाभुकों से नहीं ली जाती है।

- प्रत्येक विद्यालय के बाहर मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाने एवं मेन्यू के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि विद्यालय में सूचना पट्ट में मेन्यू नहीं लगा हुआ हो एवं बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा हो, तो वे जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें। साथ ही मध्याह्न भोजन गैस सिलेंडर में ही बने, यह भी आप मुखिया को ही सुनिश्चित करना है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी सूचना पट्ट में मेन्यू के अनुरूप दिये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित कराना एवं केन्द्र की निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी है। आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में जागरूक करने का भी कार्य मुखियागण को ही करना है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने क्षेत्र में वैसे बच्चों की पहचान करें, जो बच्चे अति कुपोषित हैं, उम्र के अनुसार उनका लंबाई न बढ़ना अथवा कम वजन हो, तो ऐसे बच्चों के माता–पिता को इन बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराने हेतु प्रेरित करें। उनका ईलाज ***"कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC)"*** में करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा लाभुकों के लिए योजनाएँ बनाई जाती है। किन्तु यदि इसका लाभ जनता तक सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है तो इसकी निगरानी मुखियागण को ही करना है। संवाद करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाएँ मुखियागण के माध्यम से जनता तक पहुँच सके।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक जिला से इस मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 03 मुखिया को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।

9. आयोग की सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि कार्यक्रम संचालित है। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में निबंधन कराने के बाद उन्हें तीन किस्तों में 5000.00 रू0 एवं जननी सुरक्षा के तहत् 1000.00 रू0 दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को Food पैकेट पोषाहार के रूप में दिये जाने एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार विद्यालयों में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन दिये जाने प्रावधान है। जनवितरण प्रणाली के तहत् ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में जितना राशन अंकित है, उतना राशन प्राप्त करें। किसी कार्डधारी को अनाज कम नहीं मिले, विद्यालय में बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिले, आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके, यह मुखिया को ही सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए मुखियागण का सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से सम्बन्धित गड़बड़ी होने पर इसकी शिकायत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि के समक्ष शिकायत दर्ज करें। समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें।

इसके साथ चतरा एवं कोडरमा भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Chatra & Koderma\Visit report of Chatra & Koderma.docx17